::आदेश::

कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के सर्वाधिक मामले देहरादून भगत सिंह कॉलोनी क्षेत्र से चिन्हित होने के फलस्वरूप Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19 Regulations, 2020 Epidemic Diseases Act 1897 तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानो के अनुरूप जनहित में आवश्यक सुरक्षात्मक आदेश पारित करना अपरिहार्य हो गया है:–

1– देहरादून नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत स्थित भगत सिंह कॉलोनी में दिनांक 07.04.2020 की मध्य रात्रि 23.59 बजे से दिनांक 14.04.2020 की मध्य रात्रि 23.59 बजे तक पूर्णतः लॉक डाउन रहेगा तथा सभी स्थानीय लोग अपने– अपने घरो में ही रहेगे।

2– लॉक डाउन अवधि में उक्त क्षेत्रान्तर्गत समस्त मार्गो पर बैरिकेटिंग एवं सुरक्षा उपाय पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त क्षेत्रान्तर्गत की सभी दुकाने, प्रतिष्ठान, कार्यालय, बैंक इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेगे।

4– परिवार के मात्र एक सदस्य को दैनिक आवश्यकता की सामग्री कय करने हेतु घर के समीप स्थापित सरकारी मोबाइल दुकान से सामग्री कय करने की अनुमति होगी।

5– जिला पूर्ति अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्र में मोबाइल वैन के माध्यम से दैनिक आवश्यकता की सामग्री यथा–राशन, सब्जी एवं फल विकय करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।

6– सहायक निदेशक, डेरी उक्त क्षेत्र में मोबाइल वैन के माध्यम से दूध विकय की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगे।

7– जिला लीड बैक अधिकारी, देहरादून उक्त क्षेत्रान्तर्गत मोबाइल वैन के माध्यम से ए.टी.एम. की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगे ताकि स्थानीय लोग उक्त ए.टी.एम. से धनराशि आहरित कर सके।

8– भगत सिंह कॉलोनी क्षेत्रान्तर्गत के यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, जुखाम तथा बुखार आदि के लक्षण महसूस होते हो तो वह तत्काल निम्नांकित नम्बरो (0135–2729250, 2626066, 2726066 एवं मो0न0–7534826066) पर सूचना उपलब्ध करा दे, ताकि तुरन्त चिकित्सा सुविधा सुलभ करायी जा सके।

9– किसी प्रकार की आकस्मिकता की स्थिति में पुलिस विभाग के टोल फ्री नम्बर 112 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

उक्त आदेशो का शत–प्रतिशत अनुपालन जन–सामान्य के जीवन रक्षा हेतु अनिवार्य होगा। उल्लघंन की स्थिति में आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005, भारतीय दण्ड संहिता एवं अन्य अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून।

संख्या : 2204/सीपीओ–डीएम–2020 दिनांक : 07, अप्रैल, 2020

प्रतिलिपि:– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4– सचिव, गृह, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6– उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को इस अनुरोध कि कृपया भगत सिंह कॉलोनी में उक्त अवधि के दौरान समस्त मार्गो पर तद्नुसार बैरिकेटिंग एवं सुरक्षा उपाय हेतु सम्बन्धितो को निर्देशित करने का कष्ट करें।
7– नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
8– मुख्य विकास अधिकारी, देहरादून।
9– अपर जिलाधिकारी (वि0/राज0)/प्रशासन, देहरादून।
10–नगर मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, सदर।
11–मुख्य चिकित्साधिकारी, देहरादून।
12–जिला पूर्ति अधिकारी/सहायक निदेशक, डेरी/जिला लीड बैंक अधिकारी, देहरादून।
13–जिला सूचना अधिकारी, देहरादून को समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
देहरादून।

Scanned with CamScanner